अनुदान संख्या 22 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 22 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2031,51,00	2031,53,00	1991,57,65	-39,95,35
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				39,83,08
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	652,49,00	692,17,00	670,89,20	-21,27,80
पूरक	Supplementary	39,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,26,75

टीका और टिप्पणियांः

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	95251.00			
पू.	S.	2.00	99848.87	99845.60	-3.27
पु.	R.	4595.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	104190.00	95589.10	95588.01	-1.09
पु.	R.	-8600.90			

(I) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) "पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें" –

(क) "विशेष विकास परियोजनायें" – ₹2967.88 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के लिए ईएपी" – ₹10761.48 लाख की बचत (₹32165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण हुई।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "विशेष विकास परियोजनायें" – ₹3639.44 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त होने और कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(I) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Schemes of North Eastern Council"-

(a) "Special Development Project"- saving of ₹2967.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs); and

(b) "EAP for North East Road Sector Development Scheme"- saving of ₹10761.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32165.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

(B) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "Special Development Project"- saving of ₹3639.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments and slow progress of works.

(ख) "पर्वतीय क्षेत्र विशेष कार्यक्रम"– ₹2000.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई।

(b) "Hill Area Development Programme" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-submission of requisite documents by the State Government in respect of projects under Hill Area Development Programme.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹4771.44 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत –निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया था:–

2. (I) The above savings were partly (₹4771.44 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under Major Head "2552" – under the following heads:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता – एनईआरएएमएसी को अनुदान" – ₹1132.00 लाख।

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertaking – Grants to NERAMAC" - ₹1132.00 lakhs.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें" – ₹3639.44 लाख।

(B) "Tribal Area Sub-Plan – Schemes of North Eastern Council" - ₹3639.44 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत निक्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Other Transfer/Grants to States"- under the following heads:-

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल–पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर व्यपगत पूल से कॅद्रीय सहायता" – ₹8849.46 लाख का अधिक व्यय (₹19272.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Central Pool of Resources for North East Region - Central Assistance from Non Lapsable Pool of resources for North East and Sikkim"- excess of ₹8849.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19272.00 lakhs); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" – "पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर व्यपगत पूल से केंद्रीय सहायता" – ₹2000.00 लाख का अधिक व्यय (₹14287.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Tribal Area Sub-Plan – Central Assistance from Non Lapsable Pool of resources for North East and Sikkim"- excess of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14287.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय लंबित देयताओं को निबटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (₹2127.80 लाख) दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹3968.00 लाख के पूरक अनुदानों की 54 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान की 3 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2127.80 lakhs) constituted 54 percent of the supplementary grants of ₹3968.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ : –

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	61849.00			
पू.	S.	2968.00	62690.25	62689.20	-1.05
पु.	R.	-2126.75			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4552" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईंः

(II) Under Major Head "4552"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सडकें और पुल" – "पूर्वोत्तर क्षेत्र में फुट सस्पेंशन ब्रिज/आरसीसी ब्रिजों सहित सडकों और पुलों का निर्माण/सुधार" – ₹1084.95 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण हुई।

(A) "Roads and Bridges" – "Construction/ improvement of Roads and Bridges including Foot suspension Bridges/RCC Bridges in North Eastern Region"- saving of ₹1084.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates from the State Governments.

(खा) "सामान्य निर्माण" –

(B) "General Construction"-

(क) "संसाधनों का गैर व्यपगत पूल–केंद्रीय" – ₹3864.00 लाख की बचत (₹17645.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगरतला–अखूरा रेल संपर्क परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं – पूंजीगत" ₹3675.34 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनईसी कन्वेंशन सेंटर परियोजना, द्वारका को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास – निर्माण – पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास" – ₹615.06 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र नही मिलने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7538.33 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2968.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "बीआरओ के माध्यम से संपादित की जाने वाली आर्थिक महत्व की सडकों का निर्माणध्सुधार" – ₹356.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹355.99 लाख था।

(खा) "पूर्वोत्तर सडक क्षेत्र विकास योजना" – ₹7182.33 लाख।

(a) "Non-Lapsable Central Pool of Resources - Central"- saving of ₹3864.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17645.00 lakhs) was due to non-finalization of revised cost estimate of Agartala-Akhura rail link project.

(b) "Schemes of North Eastern Council – Capital" - saving of ₹3675.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to non-finalization of NEC convention Center Project, Dwarka.

(C) "Integrated Development of Small and Medium Towns – Construction – Integrated Development of Small and Medium Towns in NE Region"- saving of ₹615.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

4. The above savings were partly (₹7538.33 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹2968.00 lakhs under Major Head "4552" - "Road and Bridges" - under the following heads:-

(A) "Construction/improvement of Roads of economic importance to be executed through BRO" – ₹356.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹355.99 lakhs.

(B) "North East Road Sector Development Scheme" – ₹7182.33 lakhs.